संख्या-209/2024/505/35-4-2024/35-4099/110/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 02 जुलाई, 2024

विषय:- जनपद सुल्तानपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय पालीटेक्निक, सुलतानपुर हेतु आगणन पुनरीक्षित किये जाने एवं अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद सुलतानपुर में शासनादेश संख्या-46/2020/518/35-4-2020, दिनांक 30 मार्च 2020, द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए राजकीय पालीटेक्निक, सुलतानपुर भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 2006.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु0 200.00 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या- 115/2021/1215/35-4-2021 , दिनांक 30 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 803.40 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या- 128/2022/374/35-4-2022/001-35-4099/110/2021, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में रू0 501.70 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या- 646/2023/1553/35-4-2023/001-35-4099/110/2021, दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 401.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 1906.46 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, सुलतानपुर द्वारा पत्र संख्या- 615/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 10/18 अगस्त 2023, पत्र संख्या- 777/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 13.10.2023 एवं पत्र संख्या-307/त्व0आ0वि0यो0/नि0का0/2023-24 दिनांक 28.03.2024 द्वारा पुनरीक्षित आगणन एवं तत्संबंधी आख्या उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर अवशेष धनराशि अवमुक्त करने संबंधी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2006.80 लाख के सापेक्ष लागत रू0 2054.71 लाख (GST 18% होने के दृटिगत) पुनरीक्षित करते हुए उपर्युक्त शासनादेशों से पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 148.25 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, बड़ौरा, ख्वाजापुर, कादीपुर, सुल्तानपुर का भवन निर्माण कार्य ।	2006.80 (GSTसहित)	2054.71 (GSTसहित)	1906.46	148.25

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक- 30 मार्च 2020, दिनांक 30 अगस्त 2021, दिनांक 21 अप्रैल 2022 व दिनांक 29 मई 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च,2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **धनराशि रू0 148.25 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्ष-42020210403030 2 राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-209/2024/505(1)/35-4-2024/35-4099/110/2021/तद्दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन लखनऊ ।
14. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-44, सी0एण्डसी0एस0, उ0प्र0 जल निगम अयोध्या।
15. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुलतानपुर।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।